विधानसभा/अति–आवश्यक/
16वीं विधानसभा/चतुर्थ सत्र

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांकःप.26(3)संसद/2024 जयपुर, दिनांकः 18 अगस्त, 2025

:: परिपत्र ::

विषयः– विधानसभा प्रस्तावों (स्थगन, ध्यानाकर्षण एवं विशेष उल्लेख) के संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश।

16वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र सोमवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ होने जा रहा है। विधानसभा प्रस्तावों के संबंध में समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि वे निम्नलिखित अनुदेशानुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें :–

1. प्रश्नकाल के तुरन्त पश्चात् शून्यकाल प्रारम्भ होता है। शून्यकाल में लोक महत्व के तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव व पर्ची के माध्यम से सदस्य अपनी राय सदन के समक्ष रखते हैं। इनमें कार्य स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व विशेष उल्लेख प्रस्तावों का विवरण उस दिन की कार्यसूची में अंकित होता है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा द्वारा दी गई व्यवस्था के क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक विभाग के प्रमुख शासन सचिव/सचिव माननीय मंत्री महोदय को उन विषयों पर तथ्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध कराने हेतु राजकीय दीर्घा में उपस्थित रहें। पर्ची के माध्यम से जो प्रकरण उठाये जाते हैं, उनका उल्लेख चूंकि कार्यसूची में नहीं होता है, इस कारण प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने पर अवश्यमेव राजकीय दीर्घा में उपस्थित रहें व तथ्यात्मक टिप्पणी से प्रभारी मंत्री महोदय को अवगत कराएं।

2. माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रातः 10.00 बजे ही लॉटरी के माध्यम से पर्चियां जो तात्कालिक महत्त्व के मुद्दों की होती है, पर चर्चा की अनुमति दी जाती है। इस संबंध में प्रत्येक विभाग राजस्थान विधानसभा सचिवालय से यह जानकारी प्राप्त करें कि "उसके विभाग के संबंध में आज किसी स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या पर्ची के माध्यम से कोई चर्चा स्वीकृत हैं क्या ?" यदि कोई प्रस्ताव या पर्ची स्वीकृत हुई है तो तत्काल प्रशासनिक विभाग उस विषय के संबंध में तथ्यात्मक विवरण तैयार कर माननीय मंत्री महोदय को उपलब्ध करवाएं ताकि यदि माननीय मंत्री महोदय आवश्यक समझे तो सदन के समक्ष वक्तव्य दे सके।

3. राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 50 के अन्तर्गत सत्रकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा उठाये जाते हैं, इन प्रस्तावों के प्राप्त होने से **24 घण्टों की अवधि में** तथ्यात्मक उत्तर से राजस्थान विधानसभा सचिवालय को अवगत कराते हुए प्रति संसदीय कार्य विभाग को भिजवायी जानी चाहिए।

4. राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सत्र काल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये जाते हैं, इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के **तीन दिवस की अवधि में** तथ्यात्मक उत्तर से राजस्थान विधानसभा सचिवालय को अवगत कराते हुए प्रति संसदीय कार्य विभाग को भिजवायी जानी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

5. राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत सत्रकाल के दौरान विशेष उल्लेख प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा उठाये जाते हैं, इन प्रस्तावों के प्राप्त होने के **सात दिवस की अवधि में** ही उनके उत्तर संबंधित माननीय मंत्री महोदय की ओर से संबंधित माननीय विधायकों को भेजते हुए प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर एवं संसदीय कार्य विभाग को अवगत करा दिया जाना चाहिए।

विधानसभा सचिवालय से प्राप्त प्रस्ताव (स्थगन, ध्यानाकर्षण एवं विशेष उल्लेख) का उत्तर भेजे जाने वाले पत्र में विधानसभा का वांछित सन्दर्भ एवं सत्र का उल्लेख आवश्यक रूप से करते हुए **प्रस्तावों के उत्तर प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय को ऑनलाईन (डिजीटल) रूप से भिजवाते हुए, प्रस्तावों के उत्तर की प्रतियां संसदीय कार्य विभाग को राजकाज पोर्टल के माध्यम से भिजवाये जाने का श्रम करावें।**

14.8.25

(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव,
संसदीय कार्य विभाग

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, उपमुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
5. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर ।
6. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा–निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

14.8.25

(प्रेम नारायण)
वरि० शासन उप सचिव,

Scanned with OKEN Scan